भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 142

मंगलवार, 10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

ग्रीनफील्ड औद्योगिक नोड्स

***142 श्री गोपाल जी ठाकुरः**
श्रीमती कमलजीत सहरावतः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2024 में अनुमोदित 12 नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक शहरों/नोड्स' की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना के अंतर्गत ओडिशा राज्य के नबरंगपुर और मलकानगिरी के आकांक्षी और जनजाति बहुल जिलों और दरभंगा शहर को इसमें शामिल करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जनवरी, 2026 तक प्रस्तावित शहरों में से कितने शहरों ने निर्माण कार्यों के लिए सफलतापूर्वक संविदाएं दे दी हैं;

(घ) सरकार द्वारा उक्त नए शहरों, औद्योगिक शहरों/'नोड्स' में सड़क, बिजली, पानी और सीवरेज आदि सहित बुनियादी अवसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि निवेशक बिना किसी विलंब के उत्पादन शुरू कर सकें;

(ङ) ऐसी प्रमुख वैश्विक अथवा घरेलू कंपनियों की संख्या कितनी है जिन्होंने उक्त औद्योगिक नोड्स में अब तक कारखाना इकाइयां स्थापित करने हेतु औपचारिक रूप से समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं अथवा प्रतिबद्धता व्यक्त की है;

(च) क्या विशेष रूप से झारखंड में औद्योगिक क्षेत्रों के भीतर किफायती आवास, शिक्षा, श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, उनके बच्चों के लिए विद्यालय और अन्य सामाजिक अवसंरचना के निर्माण के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है और क्या नवरंगपुर और मलकानगिरी सहित आकांक्षी और जनजातीय जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) पहले पांच कार्यशील ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र (ईसीईएच) का कार्य-निष्पादन क्या है जिसमें अब तक किए गए निर्यात की मात्रा, वर्ष 2025-26 के लिए अधिसूचित ईसीईएच, कारीगरों और एमएसएमई को दी गई सहायता कितनी है और किसी सामान के केंद्र में पहुंचने से उसकी निर्यात के लिए रवानगी के बीच औसतन कितना समय लगता है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (छ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'ग्रीनफील्ड औद्योगिक नोड्स' के संबंध में दिनांक 10.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 142 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): वर्ष 2024 में अनुमोदित 12 नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक शहरों/नोड्स [(i)एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी), खुरपिया (ii) आईएमसी, राजपुरा-पटियाला (iii) दिघी पत्तन औद्योगिक क्षेत्र (iv) पलक्कड़ औद्योगिक क्षेत्र (v) जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (vi) आईएमसी, हिसार (vii) आईएमसी, आगरा (viii) आईएमसी, प्रयागराज (ix) आईएमसी, गया (x) ओर्वकल औद्योगिक क्षेत्र (xi) कोप्पार्थी औद्योगिक क्षेत्र (xii) जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र] की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

- परियोजनाओं को शुरू करने के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) को निगमित करना: 12 परियोजनाओं के लिए पूरा कर लिया गया है।
- एसपीवी को निधियां जारी करना: 9 परियोजनाओं के लिए इक्विटी जारी कर दी गई।
- परियोजना के समग्र कार्य निष्पादन की मॉनीटरिंग करने, विभिन्न हितधारकों के बीच सामंजस्य और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए नए शहरों हेतु कार्यक्रम प्रबंधक (पीएमएनसी) का चयन करना: 9 परियोजनाओं के लिए पीएमएनसी को ऑनबोर्ड किया गया।
- अवसंरचना संबंधी कार्यों के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, कमीशनिंग और प्रचालन एवं रख-रखाव हेतु इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) ठेकेदार का चयन करना: 9 परियोजनाओं के लिए ईपीसी ठेकेदार नियुक्त कर दिए गए है, और 1 परियोजना के लिए मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया गया है तथा इसके लिए ठेकेदार का अंतिम रूप से चयन कर लिया गया है।
- पर्यावरण मंजूरी: 11 परियोजनाओं के लिए प्राप्त कर लिया गया।
- आधारशिला: 2 परियोजनाओं के लिए आधारशिला रखी गई।

जनवरी 2026 की स्थिति के अनुसार, आंतरिक मुख्य अवसंरचना कार्यों के लिए कुल 8 शहरों को सफलतापूर्वक ईपीसी संविदा प्रदान कर दिए गए। इसके बाद, एक और परियोजना के लिए ईपीसी संविदा प्रदान की गई है तथा एक अन्य परियोजना को अंतिम रूप दिया गया है।

इसके अलावा, ओडिशा राज्य के नबरंगपुर और मलकानगिरी के आकांक्षी तथा

जनजाति बहुल जिलों और दरभंगा शहर को इसमें शामिल करने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन लंबित नहीं है।

(घ): औद्योगिक शहर/नोड के विकास के भाग के रूप में सड़कों, जल आपूर्ति, सीवरेज और विद्युत वितरण सहित आंतरिक मुख्य अवसंरचना उपलब्ध कराई जाती है। बाह्य संपर्क अवसंरचना–जैसे बल्क में जल आपूर्ति, बिजली, दूरसंचार और सड़क– का पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) पोर्टल पर व्यापक मानचित्रण किया गया और इसकी जांच की गई और शेयरधारक समझौता (एसएचए)/राज्य सहायता समझौता (एसएसए) की शर्तों के अनुसार संबंधित राज्य एसपीवी द्वारा प्रदान की गई है।

(ङ): 4 पूर्ण हो चुके औद्योगिक शहरों (धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र, शेंद्रा बिदकिन औद्योगिक क्षेत्र, ग्रेटर नोएडा में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप, विक्रम उद्योगपुरी में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप) में कुल 434 घरेलू और वैश्विक कंपनियों को 4,641 एकड़ के भूखंड आबंटित किए गए हैं। जिन प्रमुख घरेलू/वैश्विक कंपनियों को भूखंड आबंटित किए गए हैं उनमें ह्योसुंग (दक्षिण कोरिया), एनएलएमके (रूस), टाटा केमिकल्स, टोयोटा किर्लोस्कर (जापान), रिन्यू पावर, कोआटल फिल्म्स (यूएस सहयोग), फ्यूजी सिल्वरटेक (जापानी), जे-वर्ल्ड (दक्षिण कोरिया) और अमूल आदि शामिल हैं। अगस्त, 2024 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 12 नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक शहर इस समय विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

(च): एनआईसीडीपी के तहत अनुमोदित सभी परियोजनाओं के लिए, व्यापक विकास योजनाओं में औद्योगिक क्षेत्रों के भीतर पर्याप्त आवासीय और अन्य सामाजिक अवसंरचना का निर्माण कार्य शामिल है।

- संबंधित राज्य की औद्योगिक नीतियों और राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के अनुसार, एनआईसीडीपी के तहत औद्योगिक टाउनशिप की आयोजना पर्याप्त आवासीय और सामाजिक अवसंरचना जैसे स्कूल, स्वास्थ्य सेवा आदि के साथ तैयार की गई है ताकि औद्योगिक क्षेत्रों में नियोजित श्रमिकों के लिए आस-पास आवास और अनिवार्य सेवाओं तक सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित हो सके, जिससे वॉक-टु-वर्क की अवधारणा को प्रोत्साहन प्राप्त हो सके और आवागमन संबंधी चुनौतियों को कम किया जा सके। इस सामाजिक अवसंरचना में औद्योगिक टाउनशिप के भीतर किफायती और श्रमिक आवास विकसित करने के आवासीय एसपीवी मॉडल का पता लगाना और साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, वाणिज्यिक और अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाओं सहित श्रमिकों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है।

- इस फ्रेमवर्क के तहत, कुल परियोजना क्षेत्र का 20% से 30% भाग को गैर-औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक,

संस्थानिक और हरित क्षेत्र शामिल हैं, ताकि श्रमिकों की आवासीय, नागरिक सुविधाओं और सामाजिक अवसंरचना को सहायता प्रदान की जा सके।

- सामाजिक अवसंरचना के लिए भूमि आबंटन, अनुमोदित भूमि आबंटन नीति के अनुरूप संबंधित एसपीवी द्वारा शुरू किया गया है, जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए अनिवार्य आवासीय, संस्थानिक और नागरिक सुविधाओं के लिए पात्रता, भूमि उपयोग मानदंड और आबंटन प्रक्रिया को प्रशासित करती है।

(छ): प्रायोगिक ई-कॉमर्स निर्यात हब (ईसीईएच), सीमा पार ई-कॉमर्स निर्यात ईकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए सरकार की पहल के तहत प्रचालन के विभिन्न चरणों में हैं। निर्यातकों के लिए, निर्यात प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने और संस्थागत सहायता प्रदान करने के लिए अवसंरचना निर्माण, विनियामक समन्वय और डिजिटल एकीकरण के उपाय किए जा रहे हैं।

*****